रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2230] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2015/आश्विन 21, 1937
No. 2230] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2015/ASVINA 21, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2807(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर, राजस्थान जिले में उत्तरी अक्षांश 24° 35 उ. और 24° 39 उ. और देशान्तर 73° 37 पू. और 73° 40 पू. के बीच अरावली श्रेणियों के दक्षिणी भाग में स्थित है और 5.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है|

और जहाँ, अभयारण्य में विविध जीवजन्तु और वनस्पतियों का वास है, जिसमें स्तनधारियों कि 26 प्रजातियां, पक्षियों की 115 प्रजातियां, सरीसृपों की 33 प्रजातियों और 7 उभयचर प्रजातियों का समर्थन कर रही है;

और जहाँ, अभयारण्य में तेंदुए, धारीदार बिज्जू, भारतीय लोमड़ी, जंगली बिल्ली, ताड़ी बिल्ली, छोटे भारतीय सीविट, सियार, फ्लाइंग फॉक्स, सांभर, चित्तीदार हिरण आदि पाये जाते है;

और जहाँ, चैपियन एवं सेठी के वर्गीकरण के अनुसार अभयारण्य का क्षेत्र शुष्क कटिबंधीय वन के अन्तर्गत आता है तथा प्रमुख प्रजातियों के पौधे जैसे एनोजेसिस पेडुला, लानेया ग्रांडिस, अकाकिया कैटुचू, मितराग्रा पारविफ्लोरा, बोसवेलिया सेराटा, एनोजेसिस लैटिफोलिया, अकाकिया लिकोफोलिया आदि ।

और, पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 250 मीटर से 5 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 250 मीटर से 5 किलोमीटर तक भिन्न-भिन्न विस्तार के साथ 28.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और ऐसे जोन का सीमा विवरण **उपाबंध –I** पर दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन राजस्थान के उदयपुर जिले की गिरवा तहसील के 9 ग्रामों तक फैला हुआ है ।

(3) प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोने के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** पर उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध III** पर उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |

(3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) नगर विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिक ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ;
(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
(ix) सिंचाई; और
(x) लोक निर्माण विभाग,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकजन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 10,16,22,28 और 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना और नई सड़कों का सन्निर्माण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं|

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक स्रोत –** सभी प्राकृतिक स्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे जिससे कि इन क्षेत्रों में या इनके समीप विकास क्रियाकलापों को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं |

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के आवास के सिवाय सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और नए होटलों और विश्रामस्थलों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ;

परन्तु पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में ही नए होटलों और विश्रामस्थलों की स्थापना की अनुज्ञा दी जाएगी |

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राजस्थान राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाईयां .–** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के किसी स्थापन की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी |

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग के किसी प्रस्थापन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ग) पारस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए विस्फोटक गोदाम की स्थापना नहीं की जाएगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिसिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा ; परन्तु दुरारोह ढलानों पर कोई खान उत्खनन या भूमि का उत्खनन या खुदाई नहीं की जाएगी | स्पष्टीकरण – "दुरारोह पहाड़ी ढलान" से 20 से अधिक ढाल वाली पहाड़ी

		ढलान अभिप्रेत है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनपचारित बहिस्रार्व और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उन्हें प्रतिषिद्ध नहीं कर दिया जाता है।
विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटल और विश्राम स्थलों का स्थापन।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। तथापि एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होंगे।
11.	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	(क)संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी। (ख) प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा। (ग) सदभाविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए सन्निर्माण की अनुज्ञा पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार से एक किलोमीटर तक दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक सन्निर्माण क्रियाकलापों का विनियमन आंचलिक महायोजना के अनुसार किया जाएगा;

		(घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होगा|
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना निदेश का अनुपालन किया जाएगा	
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
14.	विद्युत केबलों, परेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) भूमिगत केबिल लगाने का संवर्धन;
15.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
23.	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	वायु और यानीय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	दुकानदारों द्वारा पोलीथीन बैग का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
27	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

28.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
29.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
30	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
31.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
32	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए |

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) जिला कलेक्टर, उदयपुर - अध्यक्ष ;

(ख) परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक विशेषज्ञ – सदस्य;

(ग) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि – सदस्य;

(घ) लोक निर्माण विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी– सदस्य;

(ड़) खनन विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी– सदस्य;

(च) सिंचाई विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी– सदस्य;

(छ) पर्यटन विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी– सदस्य;

(ज) पुलिस विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी– सदस्य;

(झ) नगर परिषद विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी– सदस्य;

(ञ) उद्योग विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी– सदस्य

(ट) यूआईटी विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी– सदस्य;

(ठ) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, - सदस्य;

(ड) अवैतनिक वन्यजीव वार्डन, उदयपुर – सदस्य;

(ढ) उपखण्ड अधिकारी, उदयपुर – सदस्य

(ण) खण्ड विकास अधिकारी, धौलपुर – सदस्य

(त) उप मुख्य वन्यजीन वार्डन, धौलपुर - सदस्य-सचिव।

6. निर्देश शर्तें –

(2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/34/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध – I

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण

दक्षिण	शिल्पग्राम तिराहा से शुरु होकर (फतेह सागर के किनारे रानी सड़क पर त्रि-जंक्शन रोड तक), आगे सड़क के साथ चल कर, राजीव गांधी पार्क तक पहुंचता है –पार्क सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए हवाला गांव की ओर मुस्लिम कब्रिस्तान तक बाहर की ओर पहुँचते है – पश्चिमी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए हवाला घेर के उत्तर-पूर्वी कोने के कब्रिस्तान तक पहुंचता है (सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य) - आगे दक्षिण दिशा की ओर पूर्वी दीवार के साथ घेर की दीवार के साथ, हवाला के घेर के साथ दक्षिण-पूर्वी कोने तक पहुंचता है –उदयपुर शहर की ओर टार सड़क के साथ आगे बढ़ता हुआ, त्रि-जंक्शन रोड के पावर हाउस तक पहुंचता है – इसके बाद टार रोड़ के बिन्दु के साथ आगे बढ़ता हुआ, रामपुर चौराहा तक पहुंचता है – टार रोड़ के साथ आगे बढ़ता हुआ, सिसरमा नदी के पुल के पास सिसरमा गांव तक पहुंचता है – कलारोई गांव की ओर मुड़ते हुए (गांव के बाहर होते हुए), कोदिअत रोड तक पहुंचता है – कालेर वन ब्लॉक के दक्षिणी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए बुजरा की भागल के समीप अमरजोक नदी तक पहुंचता है।
पश्चिम	बुजरा की भागल के समीप अमरजोक नदी से शुरु होकर कालेर ब्लाक की सीमा तक पहुंचता है (कोदिअत गांव की बाहरी तरफ), उबेशवर रोड पर मोरवनिया गांव तक पहुंचता है (मोरवनिया गांव की बाहरी तरफ) – उक्त बिन्दु के साथ आगे बढ़ते हुए मोरवनिया नदी तक पहुंचता है।
उत्तर	मोरवनिया नदी से शुरू होकर, आगे उत्तर की ओर बढ़ता है एक छोटी पहाड़ी पर पश्चिम में वरदा रोड होते हुए पैरालेल रोड तक पहुंचती है - पहाड़ी के साथ आगे बढ़ते हुए, नथवाटोन का गुलाफला तक पहुँच गया (नथवाटोन का गुलाफला के भीतरी सीमा पर) – , दो छोटे छोटी पहाड़ियों के बीच से आगे बढ़ता हुआ, मकरेदा ब्लाक की ओर मुड़ता है, इस ब्लाक के उच्च शिखर पर 896 मीटर तक पहुँचता है – इसके बाद मकरेदा ब्लाक के रिजलाइन के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए (जो भी ब्लाक की सीमा भी है) उत्तरी सीमा की ओर थोर रोड तक पहुँचती है।
पूर्व	थोर रोड से शुरु होकर मकरेदा वन ब्लाक की पूर्वी सीमा की ओर मुड़ती है, और सन्तोरियम बड़ी टी बी तक पहुँचती है – इसके बाद उदयपुर सड़क के इस बिंदु के साथ आगे बढ़ती है, वन्यजीव प्रभाग के करीब रानी रोड पर त्रि-जंक्शन के समीप तक पहुँचती है – इसके बाद रानी रोड पर होते हुए थोर मगरा वन ब्लाक के भीतरी सीमा के समीप, शिल्पग्राम तिराहा की परिधि के समीप तक पहुँचती है।

उपाबंध II

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन का निर्देशांकों सहित मानचित्र

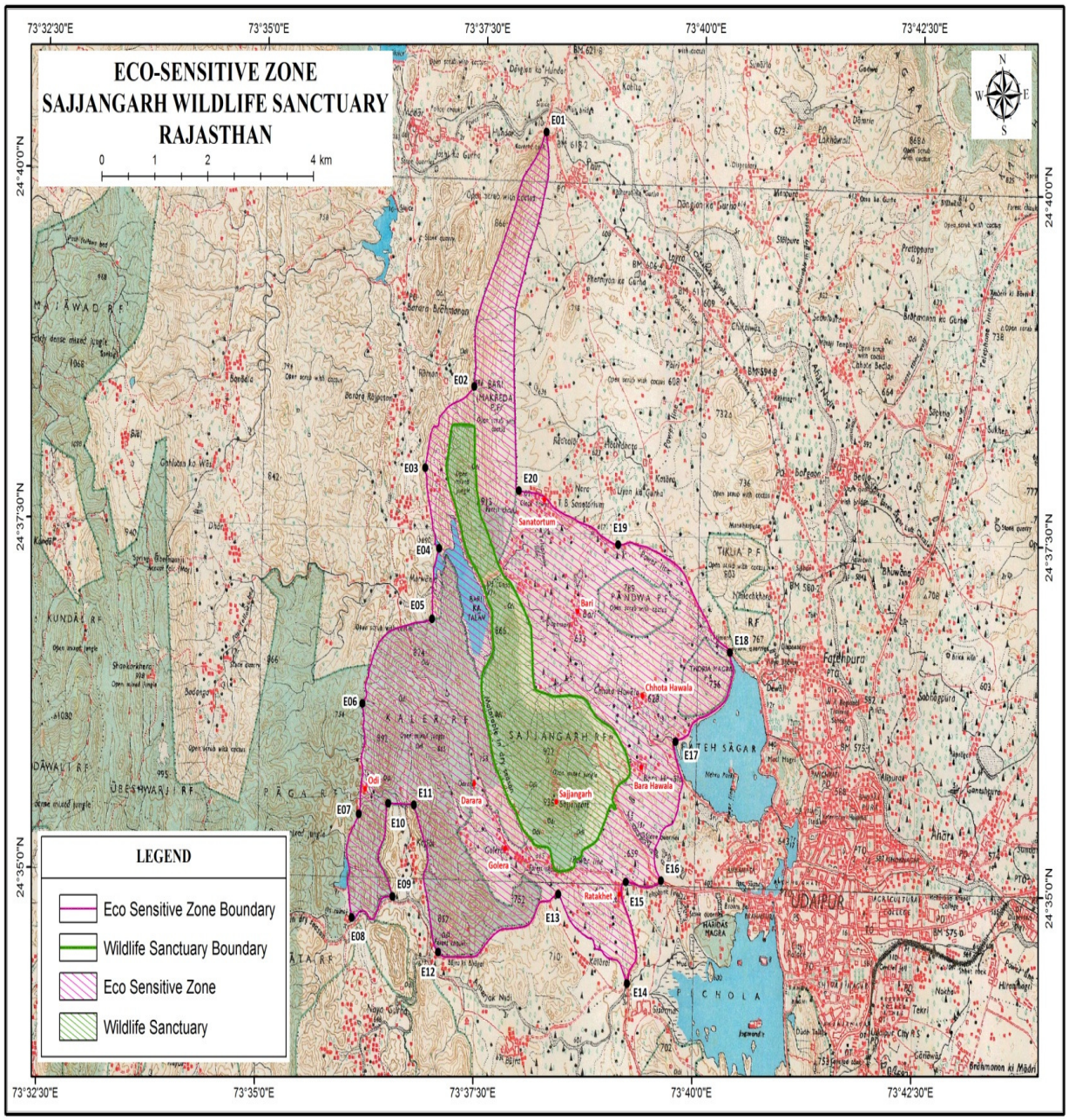

सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का पारिस्थितिक संवेदी जोन कि सीमा के बिन्दुओं का जी. पी. एस. निर्देशांक

क्र.सं.	जी.पी.एस.	देशान्तर	अक्षांश
1	पू01	73° 38.185' पू	24° 40.357' उ
2	पू02	73° 37.399' पू	24° 38.527' उ
3	पू03	73° 36.853' पू	24° 37.936' उ
4	पू04	73° 37.026' पू	24° 37.365' उ
5	पू05	73° 36.955' पू	24° 36.861' उ
6	पू06	73° 36.173' पू	24° 36.240' उ
7	पू07	73° 36.153' पू	24° 35.452' उ
8	पू08	73° 36.087' पू	24° 34.713' उ
9	पू09	73° 36.549' पू	24° 34.871' उ
10	पू10	73° 36.483' पू	24° 35.534' उ
11	पू11	73° 36.778' पू	24° 35.528' उ
12	पू12	73° 37.080' पू	24° 34.483' उ
13	पू13	73° 38.443' पू	24° 34.923' उ
14	पू14	73° 39.244' पू	24° 34.301' उ
15	पू15	73° 39.213' पू	24° 35.025' उ
16	पू16	73° 39.614' पू	24° 35.042' उ
17	पू17	73° 39.757' पू	24° 36.038' उ
18	पू18	73° 40.366' पू	24° 36.684' उ
19	पू19	73° 39.071' पू	24° 37.430' उ
20	पू20	73° 37.927' पू	24° 37.794' उ

उपाबंध – III

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	**गांव**	**देशान्तर**	**अक्षांश**
1	बरी	73° 38.620' पू	24° 36.944' उ
2	सनातोरतम	73° 38.222' पू	24° 37.734' उ
3	छोटा हवाला	73° 39.374' पू	24° 36.355' उ
4	बड़ा हवाला	73° 39.370' पू	24° 35.845' उ
5	सज्जनगढ़	73° 38.408' पू	24° 35.580' उ
6	गोलेरा	73° 37.833' पू	24° 35.237' उ
7	दरारा	73° 37.466' पू	24° 35.693' उ
8	रताखेत	73° 39.144' पू	24° 34.935' उ
9	ओदी	73° 36.218' पू	24° 35.632' उ

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2015

S.O. 2807(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at : - esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Sajjangarh Wildlife Sanctuary is located in the southern part of Aravalli series between 24^0 35 ' N to 24^0 ^{0} 39' N Latitudes and 73 °37' *E* to 73° 40'E Longitudes in District Udaipur, Rajasthan and is spread across 5.19 square kilometer;

And whereas, Sanctuary has a varied habitat having diversified fauna and flora and supports 26 species of mammals, 115 species of birds, 33 species of reptiles and 7 amphibian species;

And whereas, the Sanctuary harbours Leopard, Striped Hyaena, Indian Fox, Jungle Cat, Toddy cat, Small Indian Civet, Jackal, Flying fox, Sambar, Spotted Deer etc.;

And whereas, the sanctuary has Tropical Dry Deciduous Forests as per Champion and Seth Classification and the major plant species are *Anogeissus pendula*, *Lannea grandis, Acacia catechu, Mitragyna parviflora, Boswellia serrata, Anogeissus latifolia, Acacia leucophloea etc.;*

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Sajjangarh Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view. Class of industries and to prohibit industries or and their operations and processes in the said Eco-sensitive zone.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent ranging from 250 meters to 5 kilometers around the boundary of Sajjangarh Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan as the Sajjangarh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 28.7 square kilometre with an extent varying from 250 meters to 5 kilometers around the boundary of Sajjangarh Wildlife Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 9 villages falling in Girva Tehsil, Udaipur District of Rajasthan.

(3) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(ix) State Pollution Control Board;

(x) Irrigation; and

(xi) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution of India or law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area. and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the Government of Rajasthan.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism, Eco-education and Eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Sajjangarh Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time.

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.-** (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

(c) No new explosive godown shall be established within the Eco-sensitive Zone.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption: Provided no mining quarrying, quarrying of digging of earth shall be carried out on steep slopes. **Explanation**: "Steep hill slope" means hill slope with a gradient of more than 20º. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area:

		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (d) construction activity in the ESZ shall be as per Zonal Master Plan
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(i) Promote underground cabling.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial, purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
25	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated under applicable laws.
26	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		

27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.

5. Monitoring Committee:- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Rajasthan , which shall comprise of the following, namely:-

(a) District Collector, Udaipur - Chairman;

(b) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of one year in each case – Member;

(c) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of one year in each case-Member;

(d) District level officers of the Public Work Department departments– Member;

(e) District level officers of the Mining departments– Member;

(f) District level officers of the Irrigation departments– Member;

(g) District level officers of the Tourism departments– Member;

(h) District level officers of the Police departments– Member;

(i) District level officers of the Municipal Council departments– Member;

(j) District level officers of the Industry departments– Member;

(k) District level officers of the UIT departments– Member;

(l) Regional Officer (RO) of the State Pollution Control Board - Member

(m) Hon. Wildlife Warden, Udaipur- Member

(n) SDO, Udaipur - Member

(o) BDO, Dholpur - Member

(p) Deputy Chief Wildlife Warden – Member Secretary

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/34/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

***

Annexure I

Description of Boundaries of proposed ESZ

South	Starting from *Shilpgram tiraha* (tri-junction of roads; on *Rani* road at bank of *Fateh Sagar*), further moving along road, reaching Rajiv Gandhi Park – further moving along the park boundary towards village *Hawala* reaching Muslim graveyard keeping the graveyard outside – moving ahead along the western boundary of graveyard reaching north-east corner of *Hawala* closure (Sajjangarh WLS) - further moving along the eastern wall of the closure towards south direction, reaching south-east corner of *Hawala* closure – moving further along the tar road towards Udaipur city, reaching power house tri-junction road – further moving from this point along the tar road, reaching *Rampura choraha* – moving further along the tar road, reaching *Sisarma* river bridge near *Sisarma* village – taking a turn towards village *Kalaroi* (keeping the village outside), reaching *Kodiat* road – moving further along the southern boundary of *Kaler* forest block reaching *Amarjok nadi* near *Bujra Ki Bhagal.*
West	Starting from *Amarjok* river near *Bujra Ki Bhagal,* further following boundary of *Kaler* block (keeping *Kodiat* village outside), reaching *Morwania* village on *Ubeshwar* road (keeping *Morwania* village outside) – moving further from the point, reaching *Morwania* river.
North	Starting from *Morwania* river, further moving towards north, reaching west of *Varda* road on a small hillock, parallel to road – moving further along the edge of the hillock, reaching *Nathawaton Ka Gudafala* (keeping *Nathawaton Ka Gudafala* inside) – moving ahead, between two small hillocks, taking a turn towards *Makreda* block, reaching to the 896m. high peak of this block – further moving along the ridgeline of *Makreda* block (which is also boundary of the block) towards northern site and reaching *Thur* road.
East	Starting from *Thur* road, taking a "U" turn, moving along the eastern boundary of *Makreda* forest block, reaching TB sanatorium *Badi* – further moving from this point along Udaipur road, reaching *Rani* road tri-junction close to Wildlife Division – further moving on *Rani* road keeping *Thur magra* forest block inside, reaching *Shilpgram tiraha* to close the circuit.

Annexure II

Map of proposed Eco-sensitive Zone along with Coordinates

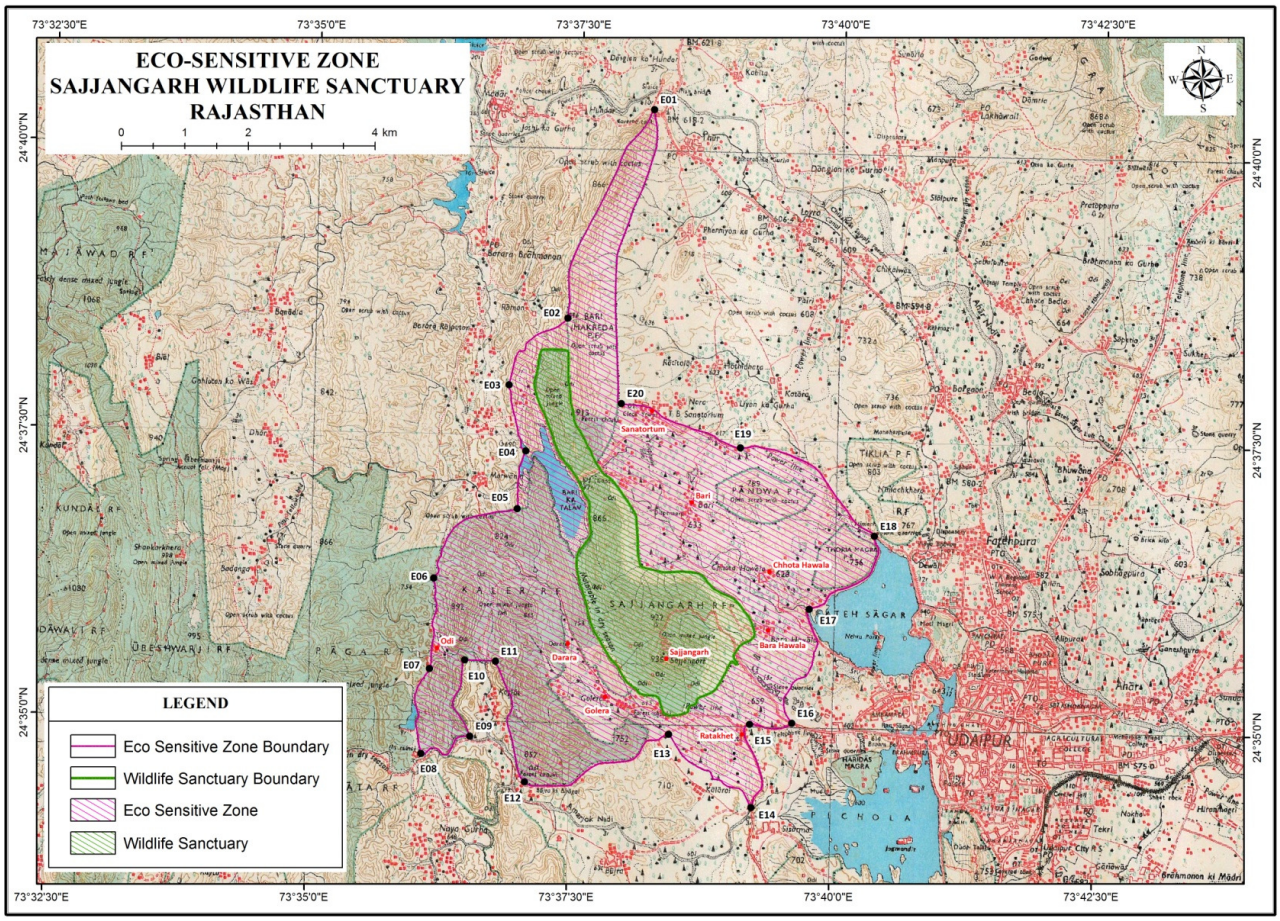

GPS Co-ordinates of points along the boundary of Eco-Sensitive Zone of Sajjangarh WLS

Sl_No	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	73° 38.185' E	24° 40.357' N
2	E02	73° 37.399' E	24° 38.527' N
3	E03	73° 36.853' E	24° 37.936' N
4	E04	73° 37.026' E	24° 37.365' N
5	E05	73° 36.955' E	24° 36.861' N
6	E06	73° 36.173' E	24° 36.240' N
7	E07	73° 36.153' E	24° 35.452' N
8	E08	73° 36.087' E	24° 34.713' N
9	E09	73° 36.549' E	24° 34.871' N
10	E10	73° 36.483' E	24° 35.534' N
11	E11	73° 36.778' E	24° 35.528' N
12	E12	73° 37.080' E	24° 34.483' N
13	E13	73° 38.443' E	24° 34.923' N
14	E14	73° 39.244' E	24° 34.301' N
15	E15	73° 39.213' E	24° 35.025' N
16	E16	73° 39.614' E	24° 35.042' N
17	E17	73° 39.757' E	24° 36.038' N
18	E18	73° 40.366' E	24° 36.684' N
19	E19	73° 39.071' E	24° 37.430' N
20	E20	73° 37.927' E	24° 37.794' N

Annexure III

List of Villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone

Sl_No	Settlement	Longitude	Latitude
1	Bari	73° 38.620' E	24° 36.944' N
2	Sanatortum	73° 38.222' E	24° 37.734' N
3	Chhota Hawala	73° 39.374' E	24° 36.355' N
4	Bara Hawala	73° 39.370' E	24° 35.845' N
5	Sajjangarh	73° 38.408' E	24° 35.580' N
6	Golera	73° 37.833' E	24° 35.237' N
7	Darara	73° 37.466' E	24° 35.693' N
8	Ratakhet	73° 39.144' E	24° 34.935' N
9	Odi	73° 36.218' E	24° 35.632' N

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.